कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता

लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,अम्बिकापुर (छ.ग.)

ई.मेल.nh43exen@rediffmail.com

चेक लिस्ट क. 27

ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र

जिलाध्यक्ष, जिला– सरगुजा/सुरजपुर द्वारा जारी ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बृजेश पटोरिया
कार्यपालन अभियन्ता
लो.नि.वि.,राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
अम्बिकापुर (छ.ग.)

पंकज कमल (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
सरगुजा वन मण्डल
अम्बिकापुर (छ.ग.)

क्रमांक 1383 /अ0भू0अ0/2022

अम्बिकापुर, दिनांक 03-02-2022

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 अम्बिकापुर-रामानुजगंज के 2 लेन/4 लेन मय पेव्हड, शोल्डर चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य के अन्तर्गत ग्राम मेन्ड्राखुर्द, किशुननगर, एवं रजपुरीखुर्द के प्रस्तावित रकबा 4.232 के वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु 10 कि0मी0 के परिधि में ऐतिहासिक स्थल न होने का प्रमाण पत्र के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर के द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 338/मु0लि0/2022 अम्बिकापुर, दिनांक 27 जनवरी 2022 के द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 343 अम्बिकापुर-रामानुजगंज अन्तर्गत प्रस्तावित रकबा अन्तर्गत ऐतिहासिक/पुरातात्विक स्थल स्थित नही है।

यह प्रमाण पत्र कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर जारी किया गया ।

दिनांक 03-2-2022

स्थान:- अम्बिकापुर

कलेक्टर

सरगुजा (अम्बिकापुर)

कार्यालय कलेक्टर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) 16

क्रमांक/ /वाचक/2022

प्रति,

सूरजपुर, दिनांक 10.01.2022

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग
संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषयः- राष्ट्रीय राजमार्ग 343 अम्बिकापुर रामानुजगंज गढ़वा मार्ग का उन्नयन चौडीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन प्रस्ताव में आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने बावत।

संदर्भः- आपका पत्र कमांक 3223 दिनांक 24.12.2021 एवं पत्र कमांक 70 दिनांक 07.01.2022.

---0---

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र की कंडिका 2 में वांछित जानकारी के संबंध में प्रमाणित किया जाता है कि जिला-सूरजपुर के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-संजयनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 343 अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा के प्रस्तावित उन्नयन/चौड़ीकरण मार्ग पर कोई ऐतिहासिक / पुरातात्विक स्थल नहीं है।

तद्नुसार सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता
लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,अम्बिकापुर (छ.ग.)
ई.मेल.nh43exen@rediffmail.com

चेक लिस्ट क. 28

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

संलग्न है।

बृजेश पटोरिया
कार्यपालन अभियन्ता
लो.नि.वि.,राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
अम्बिकापुर (छ.ग.)

पंकज कमल (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
सरगुजा वन मण्डल
अम्बिकापुर (छ.ग.)

" प्रदर्श ब"

ग्राम सभा किशुननगर की बैठक 28/12/21 का कार्यवाही विवरण

किशुननगर

आंगनबाड़ी केन्द्र भवन

आज दिनांक 28/12/2021 को ग्राम किशुननगर के सरपंच श्री/श्रीमती आशा की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के अध्यक्ष/ सदस्य____ प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम किशुननगर में आवेदक कार्यपालन अभि० लोक निर्माण विभाग ने गैर वानिकी कार्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ✗ हेक्टेयर वन भूमि ✗ हेक्टेयर, राजस्व वन भूमि 431/1 मेद 0.208 हे० हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई। जो वन भूमि____ कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, मैं कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्न अधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार(व्यक्तिगत या समुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/ गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

____

क्रमांक__________ ग्राम का नाम किशुननगर वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम ✗

रकबा ✗ (हेक्टेयर में)

– निरंक –

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया की__________ हेक्टेयर में वन भूमि/ 0.208 हेक्टेयर राजस्व भूमि, कुल योग 0.208 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मैसर्स__________ (आवेदक)__________ ______का अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार या परिवर्तित की जावे।

उपस्थित सदस्य गण

- भगीरथ सरकार – भगीरथ सरकार
- अगहन राम यादव – अगहनराम यादव
- जगेश्वर राम – [signature]
- हीरा साय
5. सेंदू राम – सेन्दु राम
6. हीरा राम – हिराराम
7. बिरहा करवा – बिरहा करवा

(8) (सहायक अभियंता) – Ambikapur NHPWD – [signature]

सचिव
ग्राम पंचायत–किशुननगर
जनपद पंचायत–अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)

हस्ताक्षर__________ आशा

नाम__________ सरपंच
सरपंच__________ ग्राम पंचायत किशुननगर
जनपद पंचायत अम्बिकापुर
जिला सरगुजा (छ.ग.)

ग्राम । किशुनगर
दि. 28।12।021

पंचनामा

हम नीचे हस्ताक्षरित पंचगण इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 28/12/21 को हल्का पटवारी ग्राम किशुननगर तह. अम्बिकापुर के उपस्थित होकर हम पंचो के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक N.H 343 (अम्बिकापुर रामानुजगंज सड़क) चौड़ीकरण दो चार लेन का बनाने आदि आदि बाय पास का निर्माण एवं पुनः संरेखण के लिये भू अर्जन की जाने वाली सिरचना हेतु अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण ग्राम वासियो के उपस्थिति मे किया गया। ग्राम किशुननगर मे राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र मे वन भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है बाय पास हेतु तैयार डी॰ जी॰ पी॰ एस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बायपास मे वन भूमि सम्मिलित नहीं किया गया है। तथा खसरा नं. 43 राजस्व वन भूमि को सम्मिलित किया गया है। पंचनामा ग्रामवासियो के समक्ष तैयार किया गया। पढ़कर सुनाया गया तत्पश्चात पंचगणो के हस्ताक्षर लिये गये।

हस्ताक्षर पंचगण

1 जलन्धर [signature]

2 अगहन राम यादव

3 मनोरंजन सरकार

4 बीरबल खलखो

5 हिरामन

6 लैबुराम

7 [signature] 28/12/2021

[signature]
P.W. 2
28/12/021

[signature]
सचिव
ग्राम पंचायत-किशुननगर
जनपद पंचायत-अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ ग)

आशा
सरपंच
ग्राम पंचायत-किशुननगर
जनपद पंचायत अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

ग्राम पंचायत- किशुननगर

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 28/12/2021

विकासखण्ड अम्बिकापुर तहसील अं० पुर जिला सरगुजा

सत्य प्रतिलिपि

उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1) श्रीमती आशा (सरपंच) 02) श्री तपन हलदार (उपसरपंच) 03) श्रीमती भारती चौधरी (पंच) 04) प्रतिमा (—"—) 05) फुलबाई (—"—) 06) रामाधीन (—"—) 07) शिवधो (—"—) 08) अनिल कुशवाहा 09) रैदु राम 10) अभिमन्यु (पंच)	प्रस्ताव क्र. (7) के विचारार्थ राष्ट्रीय राज. मार्ग 343 (114 ग्रा.क.) हेतु अधिग्रहण उपयोगिता कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत 3.772 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति बाबत।	ग्रा. पं. किशुननगर में आज दिनांक 28/12/2021 में सरपंच श्रीमती आशा की अध्यक्षता में बैठक निम्न एजेण्डा पर आयोजित किया गया जिसमें निम्न एजेण्डा पर चर्चा तथा निर्णय पारित किया गया। ग्रा. किशुननगर में आवेदक कार्यपालन अभियंता लो. नि. वि. के द्वारा (गैर वानिकी कार्य) के लिए व्यपवर्तन हेतु भूमि की मांग की गई है उस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी प्रस्ताव के उद्देश्य एवं उक्त प्रस्ताव प्रस्तावित व्यपवर्तन किये जाने वाले वन भूमि के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा राष्ट्रीयराज मार्ग (बाय पास) के अंतर्गत आने वाले वन भूमि का सर्वेक्षण किया गया।	यह प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया।	

223

क्रमांक (7) दिनांक 28/12/2021 ग्राम पंचायत किशुननगर

सचिव
ग्राम पंचायत-किशुननगर
जनपद पंचायत-अम्बिकापुर

सरपंच
ग्राम पंचायत-किशुननगर
जनपद पंचायत-अम्बिकापुर

ग्राम पंचायत किशुननगर

ग्राम पंचायत- बिशुनपुर

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 28/12/2021

विकासखण्ड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

सत्य प्रतिलिपि

उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
		नहीं सम्पादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत, सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर आदिवासी अन्य परम्परागत वनवासी को उस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है। अतः यह एक मत से ग्रा० सभा में निर्णय लिया गया कि गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्यपालन अभियन्ता लो०नि० राष्ट्रीय राज्य मार्ग संभाग अम्बिकापुर को अन्य प्रचलित नियमों प्रावधानों के अनुसार व्यपवर्तित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।	उक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया।	

सचिव
ग्राम पंचायत-बिशुनपुर
जनपद पंचायत अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

दिनांक 28/12/2021

आशा
सरपंच
ग्राम पंचायत-बिशुनपुर
जनपद पंचायत अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

ग्राम पंचायत बिशुनपुर

"प्रदर्श-अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 343 (110.000 कि.मी.) चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल राजस्व वनभूमि 0.208 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम किशुननगर ग्राम के कुल कक्ष क्रमांक.......×.......स्थित.......×.......हे0 भूमि के गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किए जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 18/01/2022 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किए जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतविधि का निष्पादन कर कब्जा नही पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नही पाया गया।

4. कंडिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नही है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन कि लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

18/01/22
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
अम्बिकापुर-02, सरगुजा (छ.ग.)

वनपरिक्षेत्राधिकारी
18/01/2022
वन परिक्षेत्राधिकारी
अम्बिकापुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अधिकारी (रा0)
जिला - सरगुजा (छ.ग.)

"प्रदर्श ब"

ग्राम सभा मेंड्राखुर्द की बैठक 8/9/22 का कार्यवाही विवरण

मेंड्राखुर्द

स्थान

आज दिनांक 8/9/22 को ग्राम मेंड्राखुर्द के सरपंच श्री/श्रीमती ________

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के अध्यक्ष/ सदस्य____ प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम मेंड्राखुर्द में आवेदक NHPWD ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ______ हेक्टेयर वन भूमि 2.442 हेक्टेयर, राजस्व वन भूमि 1.54 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई। जो वन भूमि 2.442 कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, मैं कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्न अधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार(व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/ गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

—X—

क्रमांक —X— ग्राम का नाम मेंड्राखुर्द वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम X

रकबा —X— (हेक्टेयर में)

निरंक

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया की 2.442 हेक्टेयर में वन भूमि/ 1.54 हेक्टेयर राजस्व भूमि कुल योग 3.982 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मैसर्स ________ (आवेदक) NHPWD का अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार या परिवर्तित की जावे।

उपस्थित सदस्य गण

लक्ष्मण यादव [signature] 8/9/2022

[signature] यादव

[signature] पुष्पेंद्र राजवाड़े

सरपंच
ग्राम पंचायत- मेण्ड्राखुर्द
व.पं.-अम्बिकापुर,सरगुजा (छ.ग.)

हस्ताक्षर________

नाम________

सरपंच________

सचिव
ग्राम पंचायत- मेण्ड्राखुर्द
व.पं.-अम्बिकापुर,सरगुजा (छ.ग.)

दिनांक 8/01/2022
ग्राम - मेण्ड्राखुर्द

पंचनामा

आज दिनांक 8/1/2022 को हल्का पटवारी एवं स० ... राजमार्ग क्रमांक 343 अम्बिकापुर के समानुसार मार्ग के अधिकृत उपअभियंता ग्राम मेण्ड्राखुर्द में उपस्थित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत ग्राम मेण्ड्राखुर्द के शासकीय राजस्व वन भूमि ख० नं० 1571, 713/1, 730/1, 781/1, 605/1 तथा 615 तथा 116 जो वर्तमान रिकार्ड में छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि दर्ज है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित भूमि को किसी व्यक्ति को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित नहीं किया गया है। तथा व्यपवर्तन हेतु अनापत्ति करने में किसी व्यक्ति तथा संस्था को कोई आपत्ति नहीं है।

हम नीचे हस्ताक्षरकर्ता पंचगणों के उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया।

(हस्ताक्षर) 8/1/2022 RCM 02

ह० ग्रामवासी -

1 विक्रम सेवापार — विक्रम
2 विबुधन राम — बुधन
3 (हस्ताक्षर) सरपंच ग्राम पंचायत-मेण्ड्राखुर्द ज.पं.-अम्बिकापुर,सरगुजा (छ.ग.)

(हस्ताक्षर) सचिव

4 लक्ष्मीकांत करपंवी (हस्ताक्षर)
5 ~~[illegible]~~ 8/1/22
6 लक्ष्मण यादव
(हस्ताक्षर) प्रवीण राजवाड़े

फार्म नं. 48 रजिस्टर ग्राम पंचायत के बैठकों की कार्यवाही स्थान पंचायत भवन तहसील कामिलकापुर जिला सरगुजा

तारीख	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही संक्षिप्त	कार्यवाही विस्तृत कार्यवाही	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7
01 02 03 04 05 06 07 08 09	श्री बुदेला राम (सरपंच) श्रीमती कृपा राजवाड़े (उपसरपंच) श्री भुनेश्वर राजवाड़े पंच श्रीमती मिलोबाई पंच श्रीमती [illegible] पंच —"— जीवन पंच —"— [illegible] पंच —"— [illegible] पंच —"— धनेश्वरी सोनपाकर (बी डी सी)	क्र. 01 कामिलकापुर रामानुजगंज छ.ग. उपख (rajasvi) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधि. 2006 के उपबंध कार्ड हेतु वनाधिकार [illegible] पत्र जारी करने के उद्देश्य सत्यप्रतिलिपि	ग्रा. पं. मेंड्राखुर्द की अध्यक्षता में ग्राम [illegible] निर्णय पारित किया ग्राम मेंड्राखुर्द के की अध्यक्षता में किया गया बैठक बी डी सी की चर्चा की गई ① ग्राम मेंड्राखुर्द में मांदरा कामिलकापुर किये वन भूमि की 605/1, 615, 616, कम्पार्टमेंट नं. PF के भूमि (कार्यों) प्रस्ताव बाबद विस्तृत उद्देश्य एवं उक्त प्रस्ताव भूमि के उपयोग बाबद ② वन व्यपवर्तन प्रकरण एवं अन्य परम्परागत अधि. 2006 के नियम के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वनभूमि पर कोई अर्थ सम्पादित करते हैं ? व किसी आदिवासी या उल्लेखित वन भूमि [illegible] ग्राम [illegible] से 616, 645/1,	आज दि. 08/01/2022 को सरपंच श्री बुदेला राम की बैठक का आयोजन किया एजेंडावार चर्चा किया गया। आज दि. 08/01/2022 को सरपंच श्री बुदेला राम की ग्राम पंचायत बैठक अध्यक्ष के उपस्थित सरपंच, पंच उपस्थित थे निम्नानुसार आवेदक श्रीमान तहसीलदार कार्य [illegible] के व्यपवर्तन हेतु ख.नं. 781/1, 645/1 व 713/1, 736/1 PF 2535, रकबा 2.542 की भूमि की मांग की गई है। चर्चा की गई। प्रस्ताव के उद्देश्य व्यवस्थित किये और आली वन ग्राम पंचायत बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। के परिक्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) प्रावधानों पर चर्चा की गई। जो वन भूमि सड़क निर्माण कार्य के व्यपवर्तन हेतु में कोई भी आदिवासी गैर परम्परागत वनवासी द्वारा अवास व अन्य पारंपरिक गतिविधि नहीं व कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत / सामुदायिक) गैरआदिवासी परम्परागत वन निवासी के नाम पर नहीं दिया गया है। अतः यह एक मत निर्णय लिया गया कि ख.नं. 781/1, 605/1, 615, 713/1, 736/1 कम्पार्टमेंट नं. PF 2535 रकबा	प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया। सर्वप्रथम पारित प्रस्ताव दि. 16.6.2020 को वर्णित भी	सही

सचिव
ग्राम पंचायत - मेण्ड्राखुर्द

फार्म नं. 45 रजिस्टर ——— पंचायत के बैठकों की कार्यवाही स्थान ——— तहसील ——— जिला ———

तारीख	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही संक्षिप्त	कार्यवाही विस्तृत कार्यवाही	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7
			२.५५२ हे.भूमि पर और वानिकी प्रयोजन हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग [illegible] अम्बिकापुर (छ.ग.) को [illegible] प्रस्तावित [illegible] हेतु [illegible] अनुसार [illegible] की जाती है।			सही
			सरपंच ग्राम पंचायत- मेण्ड्राखुर्द ज.प.-अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)	सचिव ग्राम पंचायत- मेण्ड्राखुर्द ज.प.-अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)		

सचिव
ग्राम पंचायत- मेण्ड्राखुर्द
ज.प.-अम्बिकापुर [illegible]

230

"प्रदर्श–अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 343 (110.000 कि.मी.) चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल मेण्डराखुर्द ग्राम के कुल राजस्व वनभूमि 1.567 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम मेण्डराखुर्द स्थित आरक्षित/संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 2535 स्थित 2.452 हे0 भूमि के गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किए जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 18/01/22 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किए जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतविधि का निष्पादन कर कब्जा नही पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नही पाया गया।

4. कंडिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नही है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन कि लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

तहसीलदार 18/01/22 नायब तहसीलदार अम्बिकापुर–02,सरगुजा(छ.ग.)	वनपरिक्षेत्राधिकारी 18/01/2022 वन परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभागीय अधिकारी(रा0) जिला – सरगुजा (छ.ग.)

"प्रपत्र–ब"

ग्राम सभा रजपुरीखुर्द की बैठक दिनांक ....
का कार्यवाही विवरण

...पुरी..........

दिनांक 21-1-2022

आज दिनांक 21-1-2022 को ग्राम रजपुरीखुर्द के सरपंच श्री / श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के [illegible] सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:—

1. ग्राम रजपुरीखुर्द में आवेदक NHPWD ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ..../...... हे0 वन भूमि 0.026 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 0.015 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 0.015 हे0 कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि कार्य, आवस या अन्य पारंपरिक गतिविधि नहीं सम्पादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:—

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
—	रजपुरी खुर्द	निरंक	निरंक

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि.................हे0 में वन भूमि / ....हे0 राजस्व वन भूमि, कुल योग.............हे0 वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मैसर्स ....(आवेदक) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

[illegible] दास

Lalan das

बिकन पैकरा

हस्ताक्षर..............
नाम ....
सरपंच.............

सचिव
ग्रा.प. रजपुरीखुर्द, ज.पं. अंबिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत-रजपुरीखुर्द
ज.पं.अम्बिकापुर,सरगुजा(छ.ग.)

उपस्थित सदस्यगण
क्रमांक नाम हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

पँचनामा

आज दिनाँक 21-1-2022 को हल्का पटवारी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 अम्बिकापुर से रामानुजगंज मार्ग के अधिकृत उपअभियंता व उपस्थित ग्रामवासी रजपुरी-खुर्द की उपस्थिति में स्थल पंचनामा तैयार किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 के अन्तर्गत ग्राम रजपुरीखुर्द के शासकीय राजस्व वन भूमि ख०नं० 16 रकबा 0.026 है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें कुल रकबा 0.026 है में से 0.015 हे० भूमि छोटे झाड़ जंगल भूमि दर्ज है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी व्यक्ति को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित नहीं किया गया है। एवं उक्त भूमि के अधिग्रहण करने से ग्राम के किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त पंचनामा उपस्थित पंचगणों के समक्ष तैयार कर हस्ताक्षर लिया गया।

1. Lalu Das
2. बिफन पैकरा — बिफन
3. सोनू (सोनू)
4. ललू पैकरा
5. जनकधारी
6. नईगा

सरपंच
ग्राम पंचायत-रजपुरीखुर्द
ज.पं. अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय ग्राम पंचायत- रजपुरीखुर्द

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 23-01-2022

विकासखण्ड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा

सत्य प्रतिलिपि

क्र.	उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
01	रघुनाथ सिंह (सरपंच)	पु० क्र० (1) अम्बुट रामानुजगंज रोड अम्बुट 3543 ( ) सड़क चौड़ी करण विकास कार्य हेतु वन अधिकार अधि० 1980 के अन्तर्गत 0.015 हे० वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधि० 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।	आज दिनांक 23-01-2022 को सरपंच श्री रघुनाथ सिंह के द्वारा बैठक किया गया एजेन्डावार चर्चा किया गया है ग्राम पंचायत रजपुरी खुर्द में उपस्थित सदस्य पंचगण, ग्रामवासियों के समक्ष चर्चा किया गया। (1) ग्राम रजपुरी खुर्द में आवेदक श्रीमान तहसीलदार महोदय अम्बुट द्वारा (गैर-वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ख.नं. 16 रकबा 0.015 हे. भूमि की भूमि मांग की गयी। (2) प्रस्ताव बावत विस्तृत चर्चा की गयी प्रस्ताव के स्वरूप उद्देश्य एवं अन्य प्रस्तावित व्यपवर्तन की जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम पंचायत ग्राम सभा बैठक में विस्तार से चर्चा की गयी। (3) इस वन भूमि के व्यपवर्तन के परिक्षेत्र में अनुसूचित जनजाति	प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कोई आपत्ति नहीं	हस्ताक्षर
02	भोलाराम दास (उपसरपंच)				
03	ललनदास (पंच)				
04	लीलाधर सिंह (पंच)				
05	निर्मल चेरवा (पंच)				
06	बालसाय (पंच)				
07	श्रीमती बसंती (पंच)				
08	सुखो (पंच)				
09	जबीनजमाल (पंच)				
10	गुलेची (पंच)				अनुपस्थित सदस्य 50
11	श्यामवती (पंच)				
12	इन्दुकुवर (पंच)				सही
13	माधेश्वरी (पंच)				
	एवं उपस्थित सदस्य				

सचिव
सचिव ग्रा.पं. रजपुरीखुर्द, ज.पं. अ.पुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत-रजपुरीखुर्द ज.पं. अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक 01 दिनांक 23-01-2022

ग्राम पंचायत रजपुरी खुर्द

कार्यालय ग्राम पंचायत-

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 23-01-2022

विकासखण्ड ———— तहसील ———— जिला ————

सत्य प्रतिलिपि

क्र.	उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
			एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता अधि. 2006) के नियम उपबंधों पर चर्चा की गयी, जो वन भूमि उक्त निर्माण कार्य के उपयोग के लिए प्रस्तावित है में कोई भी आदिवासी गैर परम्परागत वन वासी इस वन भूमि पर खेती कार्य आवास व अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं। व कोई भी (वन अधिकार व्यक्तिगत समुदाय) किसी आदिवासियों गैर आदिवासी के परम्परागत वन निवासी को इस भूमि पर वन अधिकार पत्र नहीं दिया गया है। अतः सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत बैठक में निर्णय लिया गया है, कि ख.नं. 0516 में से रकबा 0.018 हे. भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु लोक पालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग — सरपंच — उदयपुर		

सचिव
ग्रा.पं. रजपुरीखुर्द ज.पं. अ.पुर
जिला सरगुजा (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत-रजपुरीखुर्द
ज.पं. अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक 05 दिनांक 23-01-2022 सचिव सरपंच ग्राम पंचायत रजपुरी खुर्द

234

"प्रदर्श–अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 343 (110.000 कि.मी.) चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल रामपुर खुर्द ग्राम के कुल राजस्व वनभूमि 0.016 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम........×........स्थित आरक्षित/संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक........×........स्थित........×........हे0 भूमि के गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किए जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 28.01.22 28/01/2022 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किए जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतविधि का निष्पादन कर कब्जा नही पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नही पाया गया।

4. कंडिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नही है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन कि लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

28/01/22 तहसीलदार नायब तहसीलदार अम्बिकापुर–02, सरगुजा(छ.ग.)	वनपरिक्षेत्राधिकारी 28/01/2022 वन परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर जिला – सरगुजा (छ.ग.)